महत्वपूर्ण

संख्याः 5/2024/आई/667512 /2024 फाइल संख्या- 92-1012/1/2023

प्रेषक

आनन्द प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. मुख्य अभियंता (पूर्वी / पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता / अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, **लखनऊः दिनांकः 13 जून, 2024**

विषय : प्रदेश मुख्यालय/ जिला स्तर पर विभिन्न आयोजनों / बैठकों में मा० जनप्रतिनिधियों/ अधिकारियों के बैठने हेतु स्थान निर्धारित किये जाने तथा सरकारी कार्यक्रमों में मा० जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने व इससे संबंधित विज्ञापनों एवं शिलापट्टों पर नाम अंकित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि विभाग के जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा मा० जन प्रतिनिधियों को अनुमन्य प्रोटकॉल एवं प्रदेश मुख्यालय/ जिला स्तर पर विभिन्न आयोजनों / बैठकों तथा सरकारी कार्यक्रमों में मा० जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने व इससे संबंधित विज्ञापनों एवं शिलापट्टों पर नाम अंकित किये जाने के संबंध में शासकीय दिशा-निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे विभाग के समक्ष प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न ही रही है, जबकि संसदीय शिष्टाचार / पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-01/2024/25/90-सं०शि०प०का०/ 2024-02(सं०शि०)/2015 दिनांक 05 जनवरी 2024 **(प्रति संलग्न)** द्वारा इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के समस्त अधिकारियों द्वारा मा० जन प्रतिनिधियों को अनुमन्य प्रोटकॉल एवं इस सम्बन्ध में निर्गत विभिन्न शासकीय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी अधिकारी द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलिता बरती जाती है तो, इसे गंभीर कदाचार मानते हुए सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
आनन्द प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।